संख्या-74/2015/1049/78-2-2015-116आई.टी./2014

प्रेषक,

जी.एस. प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः 01 जुलाई, 2015

विषयः प्रदेश के समस्त जनपदों में डिजीटल इण्डिया ई-उत्तर प्रदेश सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस को पारदर्शिता एवं सुगमता पूर्ण तरीके से सरकारी सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु वृहद रूप से आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स का कार्य किया जा रहा है। ई-उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा डिजीटल इण्डिया ई-उत्तर प्रदेश सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त सप्ताह को सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 02.07.2015 से दिनांक 07.07.2015 के मध्य मनाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में आई.टी./ई-गवर्नेन्स के प्रति जागरूकता पैदा करना है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है जोकि निम्नवत् हैः-

1. डिजिटल साक्षरता के अन्तर्गत विश्व के सबसे बड़े लैपटॉप वितरण योजना में प्रदेश के 15.00 लाख विधार्थियों को लैपटाप वितरण कर लाभान्वित किया गया।
2. यू.पी. आनलाईन/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस को 08 विभागों की 26 शासकीय सेवाये सम्पूर्ण प्रदेश में उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें लगभग 4,40,20,431 नागरिकों को विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान किये जा चुके है।
3. आम जनमानस को उनके द्वार के समीप शासकीय सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रामीण/शहरी अंचलों में जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है और लगभग 17 हजार केन्द्र स्थापित किये जा चुके है।
4. 1090 वूमेन पावर लाईन के माध्यम से नारी सशक्तीकरण किया जा रहा है जिसके माध्यम से महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम सुनिश्चित की जा रही है।
5. प्रदेश में आई.टी. साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु आई.टी. सिटी लखनऊ की स्थापना की जा रही है।
6. प्रदेश की युवा जनशक्ति के स्किल डेवलपमेन्ट हेतु यू.पी. स्किल डेवलपमेन्ट मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जा रहे है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. प्रदेश में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिये इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) की स्थापना की जा रही है।
8. राज्य में आई.टी. को बढ़ावा देने हेतु आई.टी. पालिसी-2012 का सृजन किया गया।
9. प्रदेश के प्रत्येक नागरिक हेतु डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया गया है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य द्वारा आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में विभिन्न इनीसियेटिव्ज क्रियान्वित/संचालित किये जा रहें है।

2. डिजीटल इण्डिया ई-उत्तर प्रदेश सप्ताह के सम्बन्ध में जनपद उपरोक्त वर्णित आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स इनीसियेटिव्ज एवं जनपद स्तरीय ई-गवर्नेन्स बेस्ट प्रैक्टिसेस् के क्रम में कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करेगें।

3. डिजीटल इण्डिया ई-उत्तर प्रदेश सप्ताह कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदवार कार्यक्रम की टेन्टेटिव सूची अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है, तथापि जनपद उक्त कार्यक्रम को स्वविवेकानुसार सम्पादित कराने हेतु स्वतंत्र है। जनपद स्तर के अतिरिक्त तहसील, ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर भी आयोजित किये जाने है, जिसका निर्णय जिलाधिकारी के विवेकानुसार किया जायेगा।

4. भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई वीडियो कांफ्रेन्सिंग दिनांक 23.06.2015 में लिए गए निर्णय के क्रम में प्रत्येक जनपद (जनपद, तहसील एवं ब्लाक सम्मिलित) में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम हेतु अधिकतम रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रति जनपद भारत सरकार द्वारा प्राविधानित की गयी है। उक्त इवेन्ट में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति इवेन्ट के आयोजन के पश्चात की जायेगी।

5. उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम की रिपोर्ट्स फीड/अपलोड करने हेतु मोबाईल एप्लीकेशन (http://diweek.cloudapp.net) विकसित की गयी है। उक्त मोबाईल एप्लीकेशन पर ईवेन्ट की रिपोर्ट अपलोड होने के पश्चात ही ईवेन्ट में होने वाले व्यय के भुगतान की प्रतिपूर्ति की जायेगी। जनपद स्तर पर ई-गवर्नेन्स हेतु नामित अधिकारी द्वारा तहसील एवं ब्लाक स्तर पर अधिकारियों को इस कार्य हेतु चिन्हित किया जायेगा तथा उनके द्वारा इवेन्ट की रिपोर्ट्स अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की पृच्छाओं हेतु निम्नलिखित अधिकारियो से सम्पर्क किया जा सकता हैः-

क्र0 सं0	नाम	ई-मेल आई.डी.	दूरभाष सं0
1.	श्री प्रवीण कुमार, उप महाप्रबन्धक, सीईजी	praveenuplc@gmail.com	9235567201
2.	श्री विष्णु मोहन, प्रबन्धक, सीईजी	mohan.vishnu@gmail.com	9721451214

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(जी.एस. प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:74/2015/1049(1)/78-2-2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान विल्डिंग लखनऊ ।
4. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से की वे अपने स्तर से जनपद स्तरीय डी.आई.ओ., एन.आई.सी. को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)।
6. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (सम्बन्धित जनपद)।
7. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
8. मै0 सी0एम0एस0 कम्प्यूटर्स लि0।
9. मै0 वयम टैक्नोलॉजी लि0।
10. मै0 श्रेयी सहज ई-विलेज लि0।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।